रजिस्ट्री सं. डी.एल. (एन) 04/0007/2003—05 REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-09032022-234002
CG-DL-W-09032022-234002

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 8] नई दिल्ली, फरवरी 27 - मार्च 5, 2022, शनिवार/फाल्गुन 8- फाल्गुन 14, 1943
No. 8] NEW DELHI, FEBRUARY 27 - MARCH 5, 2022, SATURDAY/ PHALGUNA 8– PHALGUNA 14, 1943

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 28 फरवरी, 2022

सा.का.नि. 25.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए गृह मंत्रालय के अधीन सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद में प्रशासनिक अधिकारी श्रेणी 3 के पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:–

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** – (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम गृह मंत्रालय सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, प्रशासनिक अधिकारी श्रेणी 3 भर्ती नियम, 2022 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

	the Department. **Note:** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.	2. Joint Director, Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy: Member; 3. Deputy Director, Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy : Member.	

[F.No. 23011/50/2011-PT]

RAMAN KUMAR, Under Secy.

वित्त मंत्रालय

(व्यय विभाग)

नई दिल्ली, 18 जनवरी, 2022

सा.का.नि . 26.— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 148 के खंड (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग (समूह 'ग' और 'घ' पद) भर्ती नियम, 2001 को, जहां तक उनका संबंध महाप्रबंधक, प्रबंधक श्रेणी II और प्रबंधक-सह-लेखाकार के पदों से है, उन बातों के सिवाए अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक से परामर्श करने के पश्चात भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग में विभागीय कैंटीन/टिफिन कक्षों में महाप्रबंधक, प्रबंधक श्रेणी II और प्रबंधक-सह-लेखाकार के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2021 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर - उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और इससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं, आदि - भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता - वह व्यक्ति -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है,या विवाह की संविदा की है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है ।

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा ।

5. शिथिल करने की शक्ति - जहां भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगा ।

6. व्यावृत्ति - इन नियमों की कोई बात, ऐसे अराक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	**पद संख्या**	**वर्गीकरण**	**वेतन मैट्रिक्स में स्तर**	**चयन अथवा अचयन पद**	**सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा**	**सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. महाप्रबंधक	8* (2021) कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, (समूह 'ख') अराजपत्रित अननुसचिवीय।	स्तर-6 (35400-112400/- रु.) ।	चयन ।	लागू नहीं होता ।	लागू नहीं होता ।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं 1	**परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो ।**	**भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता ।**
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता ।	लागू नहीं होता ।	प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा ।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	**यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना**	**भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा**
(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति:- (प्रकार - 2क कैंटीन *) वेतन मैट्रिक्स के स्तर-6 (35400 - 112400/- रु.) में ऐसा प्रबंधक-सह-लेखाकार जिसने उस श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की हो । (प्रकार - 3क से 10क कैंटीन *) वेतन मैट्रिक्स के स्तर-6 (35400 – 112400/- रु.) में ऐसा प्रबंधक-सह-लेखाकार और उप-महाप्रबन्धक जिसने उस श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की हो । टिप्पण 1: प्रोन्नति के लिए पात्रता सूची (कैंटीन प्रकार 3क से 10क के बारे में) संबन्धित श्रेणी या पदों के अधिकारियों द्वारा विहित अर्हक सेवा के पूरा किए जाने की तारीख के प्रतिनिर्देश से तैयार की जाएगी । टिप्पण 2: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपनी ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो । **प्रतिनियुक्ति :-** केंद्रीय सरकार के ऐसे पदधारी - (क) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हों: (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से वाणिज्य या कारोबार अध्ययन या अर्थशास्त्र या लोक प्रशासन में बैचलर डिग्री ।	समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए), जिसमें निम्नलिखित होंगे :- 1. ज्येष्ठ उप-महालेखाकार या निदेशक या उप-महालेखाकार या प्रशासन समूह का भारसाधक उप-निदेशक – अध्यक्ष, 2. ज्येष्ठ उप-महालेखाकार या निदेशक या उप-महालेखाकार या उप-निदेशक (उस कार्यालय से भिन्न जिसमें प्रोन्नति पर विचार किया जा रहा है) – सदस्य, और 3. ज्येष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी या ज्येष्ठ लेखा अधिकारी या लेखापरीक्षा अधिकारी या लेखा अधिकारी – सदस्य । उक्त (1) और (2) में से ज्येष्ठ अध्यक्ष होगा ।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है ।

(ii) किसी विभागीय कैंटीन के प्रशासन और प्रबंधन में तीन वर्ष का अनुभव। **टिप्पण 1**: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। **टिप्पण 2**: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. **प्रबन्धक श्रेणी II**।	25* (2021) कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, (समूह 'ख') अराजपत्रित अननुसचिवीय।	स्तर-6 (35400-112400/- रु.)।	चयन।	30 वर्ष से अधिक नहीं। टिप्पण 1: केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पाँच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। टिप्पण 2: आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, लद्दाख खंड संघ राज्यक्षेत्र, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।

(7)	(8)	(9)	(10)
आवश्यक :- (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से वाणिज्य या कारोबार अध्ययन या अर्थशास्त्र या लोक प्रशासन में बैचलर डिग्री । (ii) किसी सरकारी कार्यालय या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या स्वायत्त या कानूनी संगठन के लेखा कार्य में दो वर्ष का अनुभव । टिप्पण 1: अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएँ सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है । टिप्पण 2: अनुभव संबंधी अर्हताएं उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएँ सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है ।	लागू नहीं होता ।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष ।	प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा, दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा ।

(11)	(12)	(13)
प्रोन्नतिः- (i) वेतन मैट्रिक्स के स्तर–4 (25500 - 81100/- रु.) में ऐसा सहायक प्रबंधक-सह-भंडारी जिसने उस श्रेणी में दस वर्ष नियमित सेवा की हो । (ii) पर्यटन मंत्रालय के अधीन होटल प्रबंधन संस्थान या अन्य किसी मान्यता प्राप्त होटल प्रबंधन और खानपान संस्थान के साथ परामर्श से संबद्ध संगठन द्वारा कैंटीन प्रबन्धक के लिए संचालित किए गए प्रबंधकीय निपुणता पर चार सप्ताह का प्रशिक्षण होना आवश्यक होगा । **टिप्पण** : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अहर्क या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम	समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए), जिसमें निम्नलिखित होंगे:- 1. ज्येष्ठ उप-महालेखाकार या निदेशक या उप-महालेखाकार या प्रशासन समूह का भारसाधक उप-निदेशक – अध्यक्ष; 2. ज्येष्ठ उप-महालेखाकार या निदेशक या उप-महालेखाकार या उप-निदेशक (उस कार्यालय से भिन्न जिसमें प्रोन्नति पर विचार किया जा रहा है) – सदस्य, और 3. ज्येष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी या ज्येष्ठ लेखा अधिकारी या लेखापरीक्षा अधिकारी या लेखा अधिकारी – सदस्य। उक्त (1) और (2) में से ज्येष्ठ अध्यक्ष	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है ।

हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अहर्क या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो । **प्रतिनियुक्तिः-** केंद्रीय सरकार के ऐसे पदधारी – (क)(i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-5 (29200 - 92300/- रु.) या समतुल्य पदों में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में छह वर्ष सेवा की हो; या (iii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-4 (25500 - 81100/- रु.) या समतुल्य पदों में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में दस वर्ष सेवा की हो; और (ख) जिनके पास स्तम्भ (7) के अधीन सीधी भर्ती के लिए विहित शैक्षणिक अर्हताएं और अनुभव हों । **टिप्पण 1:** पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । **टिप्पण 2:** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी । **टिप्पण 3:** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी ।	होगा । समूह 'ख' विभागीय पुष्टीकरण समिति (पुष्टीकरण के संबंध में विचार करने के लिए), जिसमें निम्नलिखित होंगे :- 1. ज्येष्ठ उप-महालेखाकार या निदेशक या उप-महालेखाकार या प्रशासन समूह का भारसाधक उप-निदेशक– अध्यक्ष; 2. ज्येष्ठ उप-महालेखाकार या निदेशक या उप-महालेखाकार या उप-निदेशक (उस कार्यालय से भिन्न जिसमें प्रोन्नति पर विचार किया जा रहा है) – सदस्य, और 3. ज्येष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी या ज्येष्ठ लेखा अधिकारी या लेखापरीक्षा अधिकारी या लेखा अधिकारी – सदस्य। उक्त (1) और (2) में से ज्येष्ठ अध्यक्ष होगा ।	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.प्रबंधक-सह-लेखाकार ।	21* (2021) कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया	साधारण केन्द्रीय सेवा, (समूह 'ख') अराजपत्रित अननुसचिवीय ।	स्तर–6 (35400 - 112400/- रु.) ।	चयन ।	तीस वर्ष से अधिक नहीं । **टिप्पण 1:** केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी

	जा सकता है ।				सेवकों के लिए पाँच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है । **टिप्पण 2:** आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, लद्दाख खंड संघ राज्यक्षेत्र, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियो के लिए विहित की गई है।

(7)	(8)	(9)	(10)
आवश्यक :- (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से वाणिज्य या कारोबार अध्ययन या अर्थशास्त्र या लोक प्रशासन में बैचलर डिग्री । (ii) किसी सरकारी कार्यालय या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या स्वायत्त या कानूनी संगठन के लेखा कार्य में दो वर्ष का अनुभव । **टिप्पण 1:** अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। **टिप्पण 2:** अनुभव संबंधी अर्हताएं उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएँ सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर	लागू नहीं होता ।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों और प्रोन्नत व्यक्तियों के लिए दो वर्ष ।	प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा ।

सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।			

(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति:- वेतन मैट्रिक्स के स्तर–4 (25500 - 81100/- रु.) में ऐसा सहायक प्रबंधक-सह-भंडारी जिसने उस श्रेणी में दस वर्ष नियमित सेवा की हो। पर्यटन मंत्रालय के अधीन होटल प्रबंधन संस्थान या अन्य किसी मान्यता प्राप्त होटल प्रबंधन और खानपान संस्थान के साथ परामर्श से संबद्ध संगठन द्वारा कैंटीन प्रबन्धक के लिए संचालित किए गए प्रबंधकीय निपुणता पर चार सप्ताहों का प्रशिक्षण होना आवश्यक होगा। **टिप्पण** : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अहर्क या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अहर्क या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। **प्रतिनियुक्ति:-** केंद्रीय सरकार के ऐसे पदधारी – (क)(i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-5 (29200 - 92300/- रु.) या समतुल्य पदों में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में छह वर्ष सेवा की हो; या (iii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-4 (25500 - 81100/- रु.) या समतुल्य पदों में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में दस वर्ष सेवा की हो; और (ख) जिनके पास स्तम्भ (7) के अधीन सीधी भर्ती के लिए	समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए), जिसमें निम्नलिखित होंगे:- 1. ज्येष्ठ उप-महालेखाकार या निदेशक या उप-महालेखाकार या प्रशासन समूह का भारसाधक उप-निदेशक – अध्यक्ष; 2. ज्येष्ठ उप-महालेखाकार या निदेशक या उप-महालेखाकार या उप-निदेशक उस कार्यालय से भिन्न जिसमें प्रोन्नति पर विचार किया जा रहा है) – सदस्य, और 3. ज्येष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी या ज्येष्ठ लेखा अधिकारी या लेखापरीक्षा अधिकारी या लेखा अधिकारी – सदस्य। उक्त (1) और (2) में से ज्येष्ठ अध्यक्ष होगा। समूह 'ख' विभागीय पुष्टीकरण समिति (पुष्टीकरण के संबंध में विचार करने के लिए), जिसमें निम्नलिखित होंगे :- 1. ज्येष्ठ उप-महालेखाकार या निदेशक या उप-महालेखाकार या प्रशासन समूह का भारसाधक उप-निदेशक– अध्यक्ष; 2. ज्येष्ठ उप-महालेखाकार या निदेशक या उप-महालेखाकार या उप-निदेशक उस कार्यालय से भिन्न जिसमें प्रोन्नति पर	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

विहित शैक्षणिक अर्हताएं और अनुभव हों। टिप्पण 1: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। **टिप्पण 2:** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 3:** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।	विचार किया जा रहा है) – सदस्य, और 3. ज्येष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी या ज्येष्ठ लेखा अधिकारी या लेखापरीक्षा अधिकारी या लेखा अधिकारी – सदस्य। उक्त (1) और (2) में से ज्येष्ठ अध्यक्ष होगा।	

[फा.सं. ए-12018/3/2014 -ई.जी. (खंड-II)]

निर्मला देव, निदेशक (ई.जी.)

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Expenditure)

New Delhi, the 18th January, 2022

G.S.R. 26.—In exercise of powers conferred by clause (5) of article 148 of the Constitution and in suppression of the Indian Audit and Accounts Department (Group 'C' and Group 'D' posts) Recruitment Rules, 2001, in so far as they relate to posts of General Manager, Manager Grade – II and Manager-cum-Accountant, except as respects things done or omitted to be done before such suppression, the President, after consultation with the Comptroller and Auditor General of India hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of General Manager, Manager Grade – II and Manager-cum-Accountant in the Departmental Canteens/Tiffin Rooms in the Indian Audit and Accounts Department, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Indian Audit and Accounts Department, (Group 'B' posts), Recruitment Rules, 2021.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and level in the pay matrix.- The number of posts, their classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in column (2) to (4) of the Schedule, annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualification, etc.- The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. Disqualification.- No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Comptroller and Auditor General of India may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such a person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.-** Where the Comptroller and Auditor General of India is of the opinion that it is expedient or necessary so to do, he may, by order, and for reasons to be recorded in writing and in consultation with Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.-** Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and the Other Backward Classes, Ex-service men and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Government of India from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of Post.	**Number of Post.**	**Classification.**	**Level in the pay matrix.**	**Whether Selection post or Non-selection post.**	**Age limit for direct recruits.**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**
1. General Manager.	8* (2021) Subject to variation dependent on work load.	General Central Service (Group-B) Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level-6 (Rs. 35400-112400/-).	Selection.	Not applicable.

Educational and other qualifications required for direct recruits.	**Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.**	**Period of probation, if any.**	**Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.**
(7)	**(8)**	**(9)**	**(10)**
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	By Promotion, failing which by Deputation.

In case of recruitment by promotion or deputation grades from which promotion or deputation to be made.	**If a departmental Promotion Committee exists, what is its composition.**	**Circumstance in which the Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.**
(11)	**(12)**	**(13)**
Promotion: - (Type 2A Canteens*) Manager-cum-Accountant in Level-6 (Rs. 35400-112400/-) of pay matrix with three years of regular service in the grade. (in 3A to 10A Canteens*) Manager-cum-Accountant and Deputy General Manager in Level-6 (Rs. 35400-112400/-) of pay matrix with three years of regular service in the	Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of: - 1. Senior Deputy Accountant General or Director or Deputy Accountant General or Deputy Director in-charge of Administration Group ….Chairman;	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

grade. **Note 1**:- The eligibility list (in respect of Canteen Type 3A to 10A) for promotion shall be prepared with reference to the date of completion of the prescribed qualifying service by the officers in their respective grade or posts. **Note 2**:- Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Deputation:-** Officials of the Central Government: A) Holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or B) Possessing the following educational qualifications and experience: (i) Bachelor's degree in Commerce or Business Studies or Economics or Public administration from a recognised University or Institute. (ii) Three years experience in administration and management of the Departmental Canteen. **Note 1:-** The Departmental official in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation and similarly, deputationists shall not be eligible for appointment by promotion. **Note 2:-** The period of deputation including period of deputation in any other ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of Central Government shall ordinarily not exceed three years. **Note 3:-** The maximum age-limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications.	2. Senior Deputy Accountant General or Director or Deputy Accountant General or Deputy Director (from an office other than the one in which promotions are to be considered) ......Member; and 3. Senior Audit Officer or Senior Accounts Officer or Audit Officer or Accounts Officer...... Member. The senior amongst (1) and (2) above shall be the Chairperson.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. Manager Grade-II.	25* (2021) Subject to variation dependent on work load.	General Central Service (Group-B) Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level-6 (Rs. 35400-112400/-).	Selection.	Not exceeding thirty years. Note-1:- Relaxable for Government servant upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. Note-2:- The Crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India, and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Union Territory of Ladakh Division, Lahaul and Spiti District and Pangi sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep.

(7)	(8)	(9)	(10)
Essential: (i) Bachelor's Degree in Commerce or Business Studies or Economics or Public administration from a recognised University or Institute. (ii) Two years experience in Account work in any Government office or public sector undertaking or autonomous or statutory Organisation. **Note 1:-** Qualifications are relaxable at the discretion of the competent authority for reasons to be recorded in writing in case of candidates otherwise well qualified. **Note 2:-** Qualifications regarding experience is/are relaxable at the discretion of the competent authority, for reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes, if, at any stage of selection, the competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them.	Not applicable.	Two years for Direct Recruits and Promotees.	By Promotion, failing which by Deputation failing both by Direct Recruitment.

(11)	(12)	(13)
Promotion: Assistant Manager-cum-Store-keeper in Level-4 (Rs. 25500-81100/-) of pay matrix with ten years of regular service in the grade. A mandatory training of four weeks on managerial skills for Canteen Manager, to be organised by the concerned organisation in consultation with Institutes of Hotel Management under the Ministry of Tourism or any other recognised Institutes of Hotel Management and Catering. **Note :-** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Deputation:** Officials of the Central Government; - (A) (i) Holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) With six years in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in Level-5 (Rs. 29200-92300/-) of pay matrix or equivalent in the parent cadre or Department; or (iii) With ten years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in Level-4 (Rs. 25500-81100/-) of pay matrix or equivalent in the parent cadre or Department; and (B) Possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruitment under column 7. **Note 1:-** The Departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation and similarly, deputationists shall not be eligible for appointment by promotion. **Note 2.-** The period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed	Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of: - 1. Senior Deputy Accountant General or Director or Deputy Accountant General or Deputy Director in-charge of Administration Group……Chairman; 2. Senior Deputy Accountant General or Director or Deputy Accountant General or Deputy Director (from an office other than the one in which promotions are to be considered)……Member; and 3. Senior Audit Officer or Senior Accounts Officer or Audit Officer or Accounts Officer……Member. The senior amongst (1) and (2) above shall be the Chairperson. Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of: - 1. Senior Deputy Accountant General or Director or Deputy Accountant General or Deputy Director in-charge of Administration Group…..Chairman; 2. Senior Deputy Accountant General or Director or Deputy Accountant General or Deputy Director (from an office other than the one in which confirmations are to be considered)…..Member; and 3. A Senior Audit Officer or Senior Accounts Officer or Audit Officer or Accounts Officer…..Member. The senior amongst (1) and (2) above shall be the Chairperson	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

three years. Note 3:- The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications.		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. Manager-cum-Accountant.	21* (2021) Subject to variation dependent on work load.	General Central Service (Group 'B') Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level-6 (Rs. 35400-112400/-)	Selection.	Not exceeding thirty years. **Note 1**:- Relaxable for Government servant upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. **Note 2**:- The Crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India, and not the closing dated prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Union Territory of Ladakh Division, Lahaul and Spiti District and Pangi sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep.

(7)	(8)	(9)	(10)
Essential: - (I) Bachelor's Degree in Commerce or Business Studies or Economics or Public administration from a recognised University or Institute. (II) Two years experience in Accounts work in any Government office or public sector undertaking or autonomous or statutory Organisation. **Note 1**: - Qualifications are relaxable at the discretion of the competent authority for reasons to be recorded in writing in case of candidates otherwise well qualified. **Note 2:** - Qualifications regarding experience is/are relaxable at the discretion of the competent authority, in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes, if, at any stage of selection, the competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them.	Not applicable.	Two years for direct recruits and promotees.	By promotion failing which by deputation failing both by direct recruitment.

(11)	(12)	(13)
Promotion: Assistant Manager-cum-Store keeper in Level-4 (Rs 25500-81100/-) of pay matrix with ten years of regular service in the grade. A mandatory training of four weeks on managerial skills for Canteen Manager, to be organised by the concerned organisations in consultation with Institutes of Hotel Management under the Ministry of Tourism or any other recognized Institutes of Hotel Management and Catering. **Note 1**:- Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Deputation: -** Officials of the Central Government; A) (i) Holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) With six years in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in Level-5 (Rs. 29200-92300/-) of pay matrix or equivalent in the parent cadre or Department; or (iii) With ten years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in Level-4 (Rs. 25500-81100/-) of pay matrix or equivalent in the parent cadre or Department; and B) Possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruitment under column 7. **Note** 1:- The Departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation and similarly, deputationists shall not be eligible for appointment by promotion. **Note 2.-** The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. **Note 3:-** The maximum age-limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications.	Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of: - 1. Senior Deputy Accountant General or Director or Deputy Accountant General or Deputy Director in-charge of Administration Group……Chairman, 2. Senior Deputy Accountant General or Director or Deputy Accountant General or Deputy Director (from an office other than the one in which promotions are to be considered)……Member, and 3. Senior Audit Officer or Senior Accounts Officer or Audit Officer or Accounts Officer……Member. The senior amongst (1) and (2) above shall be the Chairperson. Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:- 1. Senior Deputy Accountant General or Director or Deputy Accountant General or Deputy Director in-charge of Administration Group…..Chairman; 2. Senior Deputy Accountant General or Director or Deputy Accountant General or Deputy Director (from an office other than the one in which confirmations are to be considered)…..Member; and 3. Senior Audit Officer or Senior Accounts Officer or Audit Officer or Accounts Officer…..Member. The senior amongst (1) and (2) above shall be the Chairperson.	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

[F. No.A-12018/3/2014-EG (Vol. II)]

NIRMALA DEV, Director (EG)